उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय

(राज्य सरकार का स्वायत्तषासी निकाय, विष्वविद्यालय अनुदान अधिनियम, 1956 की धारा 2(एफ) के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त; भारतीय विश्वविद्यालय संघ (ए.आई.यू.) की सदस्यता प्राप्त)

हर्रावाला, देहरादून – 248001

वेबसाईट : uau.ac.in ईमेल : uauaffiliation@gmail.com

पत्रांक 3624 /उ0आ0वि0/सम्बद्धता/2022–23 दिनांक : 06 / 3 /2023

सम्बद्धता कार्यालय आदेश

शैक्षणिक सत्र–2022–23

भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग, (NCISM) नई दिल्ली, आयुष मंत्रालय भारत सरकार की संस्तुति/स्वीकृति पत्र संख्या Ref. No.3-4/2022-Ay. (25) दिनांक 14.11.2022 के क्रम में उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा–33 की उपधारा (4) में उल्लिखित प्राविधानों के अनुपालन में निम्नांकित संस्थान/परिसर को स्तम्भ–03 में वर्णित पाठ्यक्रम हेतु उनके सम्मुख अंकित सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ स्तम्भ–5 में वर्णित अवधि के लिए अस्थाई सम्बद्धता की स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है।

क्र.सं.	परिसर/संस्थान/ महाविद्यालय का नाम	संचालित पाठ्यक्रम का नाम	संस्थान में प्रवेश क्षमता	अस्थाई सम्बद्धता की अवधि
01	02	03	04	05
01	पतंजलि भारतीय आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, हरिद्वार।	BAMS	100 सीट	शैक्षणिक सत्र 2022–23 हेतु अस्थाई सम्बद्धता ।
		MD/MS	40 सीट 1–आयुर्वेद सहिंता संस्कृत एवं सिद्धान्त – 05 2–क्रिया शारीर –05 3–द्रव्यगुण विज्ञान –05 4–रसशास्त्र –05 5–पंचकर्म –05 6–कायचिकित्सा –05 7–शल्यतन्त्र –05 8–शालक्य तन्त्र –05	

2– परिसर/संस्थान को विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों का पालन किया जाना होगा।

3– परिसर/संस्थान में मानक के अनुसार अर्ह फैकल्टी की नियुक्ति/सेवानिवृत्ति/पद त्याग की स्थिति में सूचना की पुष्टि समय–समय पर विश्वविद्यालय को दी जानी होगी।

4– परिसर/संस्थान द्वारा किसी दूसरे विश्वविद्यालय का कोई दूरस्थ शिक्षा अध्ययन केन्द्र संचालित नहीं किया जायेगा।

5– छात्रों से शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क ही लिया जायेगा। यदि निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क लेने की पुष्टि होती है तो विश्वविद्यालय अधिनियम में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

6– यदि किसी संस्थान द्वारा शासन एवं विश्वविद्यालय के आदेशों का उल्लंघन किया जाता है तो विश्वविद्यालय द्वारा पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के लिए दी गयी अनापत्ति (NOC) को वापस लिए जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

7– परिसर/संस्थान में कार्यरत फैकल्टी एवं कर्मचारियों का वेतन इत्यादि का भुगतान राज्य सरकार एवं भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (NCISM) नई दिल्ली के मानको के अनुरूप अनिवार्य रूप से क्रास चेक द्वारा उनके नाम खोले गये खाते के माध्यम से किया जायेगा, जिसकी पुष्टि समय–समय पर विश्वविद्यालय द्वारा की जायेगी।

8– परिसर/संस्थान द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के एस0सी0/एस0टी0/ओ0बी0सी0 को अधिनियम के अनुसार प्रवेश में आरक्षण दिया जाना आवश्यक होगा।

9– पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में समस्त आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था के सम्बन्ध में समय–समय पर सूचना विश्वविद्यालय को दी जानी अनिवार्य होगी।

10– भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग, (NCISM) नई दिल्ली, (आयुष मंत्रालय भारत सरकार) द्वारा अनुमोदन के सम्बन्ध में यदि कोई शर्त निर्धारित की जाती है तो संस्थान द्वारा उसका पालन भी किया जाना आवश्यक होगा।

उक्त आदेश मा0 कुलपति महोदय की सहमति/अनुमोदन के उपरान्त जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(प्रो0 अनूप कुमार गक्खड)
प्रभारी कुलसचिव

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. सचिव, आयुष एवं आयुष शिक्षा, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. सचिव/अध्यक्ष भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग, (NCISM) नई दिल्ली।
3. सचिव, श्री राज्यपाल/मा0 कुलाधिपति महोदय, राजभव, देहरादून।
4. निजी सचिव मा0 कुलपति महोदय, मा0 कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ।
5. सचिव आयुष एवं आयुष शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
6. निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें, उत्तराखण्ड।
7. मुख्य वित्त अधिकारी, उ0आ0वि0 हर्रावाला, देहरादून।
8. प्राचार्य, पतंजलि भारतीय आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, हरिद्वार।
9. गार्ड फाईल

(प्रो0 अनूप कुमार गक्खड़)
प्रभारी कुलसचिव